

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश: जबलपुर

// आदेश //

कमांक **B/3583** / चार-12-5 / 23

जबलपुर, दिनांक **29** / 05 / 2025

रजिस्ट्री आदेश कमांक 187/गोपनीय/2024 जबलपुर दिनांक 28.02.2024 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को प्रधान जिला न्यायाधीश के सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 199100-224100/- में नियुक्ति होने तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र कमांक 2109/2018/21- ब (एक) दिनांक 28.04.2018 एवं क. 1464/21-ब(एक) दिनांक 25.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम व यूनिक एम्पलाई कोड	सुपर वेतनमान में नियुक्ति दिनांक के पूर्व चयनग्रेड वेतनमान रु0 163030 - 219090/- में प्राप्त वेतन व दिनांक	समय 199100-224100/- में नियुक्ति का दिनांक	सुपर वेतन में आगामी वे0वू0 का दिनांक	समय सुपर वेतनमान रु. 199100-224100 /-(J-7) में निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी, यूनिक एम्पलाई कोड नं. 140015940	206510/- 17/02/2023	10/07/2023	- 17/02/2024	211220/- 224100/- (Maximum of pay scale)	10/07/2023 01/02/2024 (रजिस्ट्री आदेश क0 901/CJ-III/934 dt. 17/07/2020 का प्रभाव समाप्त होने के फलस्वरूप)

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


(राजेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार(एम0)

जबलपुर, दिनांक **29** / 05 / 2025

कमांक **B/3584** / चार-12-5 / 23

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर/शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा/पेंशन) एवं सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. रीडर टू रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।


रजिस्ट्रार(एम0)